1

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) से संबद्ध
Grade - 'B' Accredited by NAAC
ई–मेलः tclpgcollege@gmail.com वेबसाईट–https://www.govttclpgcollege.ac.in

क्र. 853 /स्था./2026 जांजगीर, दिनांक – 20/08/2026

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक **ESTB-2035/637/2026- RAJPATRIT STHAPANA,** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2026, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक **574/126/आउशि/राज.स्था./2024,** नवा रायपुर दिनांक **06.07.2024, छ.ग. शासन** उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का पत्र क्र. 77/नि.स./स./उ.शि. /2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक **एफ –3–54/स्था./2020/38–1,** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.06.2024 के अनुसार **शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर** (छ.ग.) में विषय **इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भौतिक शास्त्र** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **03.09.2026** को सायं **5:00** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर करते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याताओं को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. **आयु सीमा** :– अतिति व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

विषय/पदों का विवरण :–

क्रं.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधि
1	भौतिक शास्त्र	00	0	01	0	0
2	समाज शास्त्र	01	0	00	0	0
3	इतिहास	00	0	01	0	0
4	लोक प्रशासन	00	0	01	0	0
	योग	**01**	**0**	**03**	**0**	**0**

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वी, स्नातक स्नातकोत्तर, सेट/नेट एम.फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक **03.09.2026** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची मे शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन **दिनांक 07.09.2026** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **08.09.2026** से **10.09.2026 तक** होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन **दिनांक 11.09.2026** को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्याल/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. **अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय शासन के नये नियमानुसार यथा संशोधित 2026 के अनुसार**
11. होगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, पोस्ट–जांजगीर, जिला – जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) 495668 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

13. इस विज्ञापन के तहत् व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगें।

14. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्थ प्रमुख द्वारा की जावेगी।

15. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

17. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होगें।

18. अतिथि व्याख्याता आवेदन से संबधित विभिन्न कार्यक्रम –

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	आवेदन करने की अंतिम तिथि	अंनतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	दावा आपत्ति तिथि	अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन
20.08.2026	03.09.2026	07.09.2026	08.09.2029 से 10.09.2026 तक	11.09.2026

टीप :–

1. महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत **इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भौतिक शास्त्र** रिक्त पद के विरूद्ध सचिव उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार व अतिथि व्यवस्था 2024 के नीति के तहत पूर्व में कार्यरत अतिथि व्याख्याता श्रेणी 01, 02 में आने व उनके द्वारा कार्य स्वीकृति प्रदान करने के कारण विज्ञप्ति जारी नही किया जा रहा है।

2. उक्त विज्ञापन में विरोधाभाष अथवा टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में छ.ग. शासन शिक्षा विभाग का अतिथि व्याख्याता नीति 2024 प्रभावी/मान्य होगा।

प्राचार्य
शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर
महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. T.C.L. P.G. College, Janjgir
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्र. 854/स्था. /2026 जांजगीर, दिनांक– 20/03/2026

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रवती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ
3. कुल सचिव, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग. को सूचनार्थ
5. कार्यालय प्रति

प्राचार्य
शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. T.C.L. P.G. College, Janjgir
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,

Scanned with OKEN Scanner